

**भागलपुर समाहरणालय**  
(जिला शस्त्र शाखा)

**आदेश**

सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक-प0नि0- 30-167/2021/3256 दिनांक-24.08.2021 द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आगामी पंचायत आम निर्वाचन-2021 को स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने हेतु भागलपुर जिलान्तर्गत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की अनुज्ञप्ति, शस्त्र यथा-अनिषिद्ध (N.P BORE), रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल, एकनाली, दूनाली बन्दूक के थानावार सत्यापन के लिए इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-4722 दिनांक-03.09.2021 से निम्नानुसार पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करते हुए शस्त्र और अनुज्ञप्ति के भौतिक सत्यापन के लिए प्राधिकृत किया गया था।

विदित हो कि थानावार शस्त्र प्रतिशत शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं हो पाये जाने के कारण प्राधिकृत पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि अपने क्षेत्रान्तर्गत पुलिस थानों पर उपस्थित होकर शस्त्र प्रतिशत शस्त्र का भौतिक सत्यापन कार्य की समीक्षा करना सुनिश्चित करेंगे।

अतः सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को निदेश दिया जाता है कि वे सम्बंधित पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष के समक्ष उपस्थित होकर उनके अनुज्ञप्ति पर निर्गत शस्त्र/कारतूसों का भौतिक सत्यापन शस्त्र प्रतिशत कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक निरीक्षण/भौतिक सत्यापन नहीं कराने वाले अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र अनुज्ञप्ति को निलंबित/रद्द करने की विधिसम्मत कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी।

**भौतिक सत्यापन हेतु तिथिवार निर्धारित स्थल पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी की विवरणी निम्नांकित है :-**

क्र0	प्रतिनियुक्त पदाधिकारी का नाम	पुलिस थाना का नाम	भौतिक सत्यापन का स्थान	सत्यापन की तिथि	सत्यापन का समय
1.	अंचल अधिकारी नाथनगर एवं थानाध्यक्ष, नाथनगर थाना।	नाथनगर/मधुसूदनपुर /ललमटिया	नाथनगर थाना	22.09.2021 से 25.09.2021	पूर्वाह्न 09.30 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक
2.	जिला योजना पदाधारी, भागलपुर एवं थानाध्यक्ष, कजरैली थाना।	कजरैली	कजरैली थाना	22.09.2021 से 25.09.2021	पूर्वाह्न 09.30 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक
3.	भाष्कर प्रियदर्शन, सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण ईकाई, भागलपुर एवं थानाध्यक्ष, जगदीशपुर थाना।	जगदीशपुर	जगदीशपुर थाना	22.09.2021 से 25.09.2021	पूर्वाह्न 09.30 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक
4.	अंचल अधिकारी, सबौर एवं थानाध्यक्ष, सबौर थाना।	सबौर	सबौर थाना	22.09.2021 से 25.09.2021	पूर्वाह्न 09.30 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक
5.	अंचल अधिकारी, गोराडीह एवं थानाध्यक्ष, गोराडीह थाना।	लोदीपुर/गोराडीह	गोराडीह थाना	22.09.2021 से 25.09.2021	पूर्वाह्न 09.30 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक
6.	जिला कल्याण पदाधिकारी, भागलपुर एवं थानाध्यक्ष, कोतवाली थाना।	कोतवाली/तातारपुर	कोतवाली थाना	22.09.2021 से 25.09.2021	पूर्वाह्न 09.30 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक
7.	जिला खेल पदाधिकारी, भागलपुर एवं थानाध्यक्ष, जोगसर थाना।	जोगसर/विश्वविद्यालय	जोगसर थाना	22.09.2021 से 25.09.2021	पूर्वाह्न 09.30 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक
8.	श्रम अधीक्षक, भागलपुर एवं थानाध्यक्ष, तिलकामांझी थाना।	तिलकामांझी	तिलकामांझी थाना	22.09.2021 से 25.09.2021	पूर्वाह्न 09.30 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक
9.	उत्पाद निरीक्षक, भागलपुर एवं थानाध्यक्ष, बरारी थाना।	बरारी/औद्योगिक प्रक्षेत्र	बरारी थाना	22.09.2021 से 25.09.2021	पूर्वाह्न 09.30 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक
10.	जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, भागलपुर एवं थानाध्यक्ष, मोजाहिदपुर थाना।	मोजाहिदपुर/हबीबपुर/बबरगंज	मोजाहिदपुर थाना	22.09.2021 से 25.09.2021	पूर्वाह्न 09.30 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक
11.	विकास कुमार, बाल संरक्षण पदाधिकारी, भागलपुर एवं थानाध्यक्ष, ईशाकचक थाना।	ईशाकचक	ईशाकचक थाना	22.09.2021 से 25.09.2021	पूर्वाह्न 09.30 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक
12.	अंचल अधिकारी, सन्हौला एवं थानाध्यक्ष, सन्हौला थाना।	सनोखर/सन्हौला/अमडंडा	सन्हौला थाना	22.09.2021 से 25.09.2021	पूर्वाह्न 09.30 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक
13.	अंचल अधिकारी, सुलतानगंज एवं थानाध्यक्ष, सुलतानगंज थाना।	सुलतानगंज	सुलतानगंज थाना	22.09.2021 से 25.09.2021	पूर्वाह्न 09.30 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक
14.	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सुलतानगंज एवं थानाध्यक्ष, अकबरनगर थाना।	अकबरनगर/बाथ	अकबरनगर थाना	22.09.2021 से 25.09.2021	पूर्वाह्न 09.30 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक
15.	अंचल अधिकारी, शाहकुण्ड एवं थानाध्यक्ष, शाहकुण्ड थाना।	शाहकुण्ड/सजौर	शाहकुण्ड थाना	22.09.2021 से 25.09.2021	पूर्वाह्न 09.30 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक
16.	अंचल अधिकारी, कहलगांव एवं थानाध्यक्ष, कहलगांव थाना।	अंतीचक/बुद्धुचक/कहलगांव	कहलगांव थाना	22.09.2021 से 25.09.2021	पूर्वाह्न 09.30 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक
17.	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, कहलगांव एवं थानाध्यक्ष, घोघा थाना।	घोघा/रसलपुर	घोघा थाना	22.09.2021 से 25.09.2021	पूर्वाह्न 09.30 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक
18.	भूमि सुधार उप समाहर्ता, कहलगांव एवं थानाध्यक्ष, एन0टी0पी0सी0 थाना।	एन0टी0पी0सी0/शिवनारायणपुर	एन0टी0पी0सी0 थाना	22.09.2021 से 25.09.2021	पूर्वाह्न 09.30 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक

19.	अंचल अधिकारी, पीरपैती एवं थानाध्यक्ष, पीरपैती थाना।	पीरपैती / ईशोपुर / बाराहाट / एकचारी	पीरपैती थाना	22.09.2021 से 25.09.2021	पूर्वाह्न 09.30 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक
20.	अंचल अधिकारी, नवगछिया एवं थानाध्यक्ष, नवगछिया थाना।	नवगछिया / कदवा / ढोलबज्जा / परवता	नवगछिया थाना	22.09.2021 से 25.09.2021	पूर्वाह्न 09.30 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक
21.	अंचल अधिकारी, बिहपुर एवं थानाध्यक्ष, बिहपुर थाना।	बिहपुर / झंडापुर	बिहपुर थाना	22.09.2021 से 25.09.2021	पूर्वाह्न 09.30 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक
22.	अंचल अधिकारी, नारायणपुर एवं थानाध्यक्ष, नारायणपुर थाना।	भवानीपुर / नारायणपुर	नारायणपुर थाना	22.09.2021 से 25.09.2021	पूर्वाह्न 09.30 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक
23.	अंचल अधिकारी, खरीक एवं थानाध्यक्ष, खरीक थाना।	खरीक / नदी	खरीक थाना	22.09.2021 से 25.09.2021	पूर्वाह्न 09.30 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक
24.	अंचल अधिकारी, गोपालपुर एवं थानाध्यक्ष, गोपालपुर थाना।	गोपालपुर /	गोपालपुर थाना	22.09.2021 से 25.09.2021	पूर्वाह्न 09.30 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक
25.	अंचल अधिकारी, रंगरा एवं थानाध्यक्ष, रंगरा ओपी0 थाना।	रंगरा ओपी0	रंगरा ओपी0 थाना	22.09.2021 से 25.09.2021	पूर्वाह्न 09.30 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक
26.	अंचल अधिकारी, ईस्माइलपुर एवं थानाध्यक्ष, ईस्माइलपुर थाना।	ईस्माइलपुर	ईस्माइलपुर थाना	22.09.2021 से 25.09.2021	पूर्वाह्न 09.30 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक

शस्त्रों के सत्यापन एवं निरीक्षण हेतु निम्नलिखित आदेश दिया जाता है जिसका अनुपालन सभी संबद्ध दण्डाधिकारी/थानाध्यक्ष सुनिश्चित करेंगे।

सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को निदेश दिया जाता है कि निर्धारित तिथि को संबंधित थाना भवन पर अपने आग्नेयास्त्र को भौतिक सत्यापन हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में अनुज्ञप्ति निलंबित/रद्द करने एवं आग्नेयास्त्र को जब्त करने की कार्रवाई की जायेगी। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी निर्धारित तिथि को शस्त्रों का भौतिक सत्यापन करने के उपरान्त संबंधित थानाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रतिवेदन प्रत्येक दिन 05:30 बजे अपा0 तक जिला शस्त्र शाखा, भागलपुर को उपलब्ध कराते हुए [Email-sdc.general.bgp@gmail.com](mailto:Email-sdc.general.bgp@gmail.com) पर भी भेजना सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नक :- विहित प्रपत्र।

801

जिला निर्वाचन पदाधिकारी,  
-सह-जिला दंडाधिकारी,  
भागलपुर।

ज्ञापांक 4995/सा0,

भागलपुर, दिनांक 21/09/2021

- प्रतिलिपि :- सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी, भागलपुर जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- वरीय पुलिस अधीक्षक, भागलपुर/पुलिस अधीक्षक, नवगछिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से संबंधित थानाध्यक्ष को निदेशित करते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराएँगे।
- प्रतिलिपि :- सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भागलपुर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि अपने स्तर से अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारी/थानाध्यक्ष को इस आदेश के अनुपालन हेतु अनिवार्य रूप से संसूचित करेंगे।
- प्रतिलिपि :- संबंधित प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/संबंधित थानाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। निदेश है कि विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन निर्धारित तिथि एवं समय पर जिला शस्त्र शाखा, भागलपुर को उपलब्ध करायेंगे।
- प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, गोपनीय शाखा, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं प्रचार-प्रसार करने के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी,  
-सह-जिला दंडाधिकारी,  
भागलपुर।